रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3530] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 30, 2019/कार्तिक 8, 1941
No. 3530] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2019/KARTIKA 8, 1941

गृह मंत्रालय

(जम्मू-कश्मीर कार्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3912(अ).—जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है) को राष्ट्रपति की अनुमति 09 अगस्त, 2019 को प्राप्त हो गई थी और इसे उसी दिन राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया था;

और, 31 अक्तूबर, 2019 की तारीख, मूल अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए नियत दिवस के रूप में अधिसूचित की गई है;

और, विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य का जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में पुनर्गठन का उपबंध करने के लिए मूल अधिनियम अधिनियमित किया गया था;

और, कुछ ऐसी केंद्रीय विधियों और उनके अधीन बनाए गए नियम हैं, जो विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू हैं और जिन्हें जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र को लागू बनाए रखना है;

और, उन केंद्रीय विधियों, अध्यादेश और नियमों को, जो विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य को सिवाय संपूर्ण भारत को लागू हैं, मूल अधिनियम की पाचवीं अनुसूची की तालिका-I में विनिर्दिष्ट केंद्रीय विधियों के अतिरिक्त जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में लागू किया जाना है;

और, द जम्मू एंड कश्मीर बोविन ब्रीडिंग (रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, सेल ऑफ बोविन सीमेन एंड आर्टिफिशियल इनसेमीनेशन) एक्ट, 2018 (2018 का राज्यपाल का अधिनियम सं. 55), जम्मू एंड कश्मीर सिंगल विंडो (इंडस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस फेसिलिटेशन) एक्ट, 2018 (2018 का राज्यपाल का अधिनियम सं. 10), जम्मू एंड कश्मीर मेट्रोपोलिटिन रीजन डेवलेपमेंट अथॉरिटीज एक्ट, 2018 (2018 का राज्यपाल का अधिनियम सं. 49) और जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018 (2019 का अधिनियम सं. 2), जो विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू हैं, को जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में लागू बनाए रखा जाना है;

और जबकि, सभी केन्द्रीय विधियों और सुसंगत राज्य विधियों को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में लागू किए जाने के पश्चात् इन विधियों को अपेक्षित उपांतरणों के साथ उत्तरवर्ती संघ राज्य क्षेत्रों के अनुकूल बनाए जाने को केवल मूल अधिनियम की पांचवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों तक निर्बंधित नहीं रखा जा सकता है बल्कि इसका विस्तार नियत दिवस से पूर्व लागू किसी भी विधि तक किया जाना अपेक्षित है;

और, मूल अधिनियम की पांचवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों और अन्य राज्य विधियों तथा केंद्रीय विधियों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के संबंध में "जम्मू-कश्मीर राज्य" के प्रति निर्देशों का अर्थ, यथास्थिति, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र अथवा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा;

और, "राज्य की विधायी परिषद सहित राज्य विधान मंडल" जिसे मूल अधिनियम के द्वारा हटा दिया गया है, के प्रति निर्देशों का अर्थ "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा" के प्रति निर्देश रूप में लगाया जाएगा;

और, विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जम्मू-कश्मीर के संविधान के अधीन की गई है तथा उन्होंने उक्त संविधान के अधीन शपथ ली है अथवा प्रतिज्ञान किया है। तथापि, मूल अधिनियम की धारा 75 में यह उपबंध है कि मूल अधिनियम की नियत तारीख से ठीक पहले पद धारण करने वाले, विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उस दिन को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के साझा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित उपबंधों सहित भारत के संविधान के सभी उपबंध जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के साझा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को लागू होंगे;

और, ऐसे अन्य व्यक्ति अथवा प्राधिकारी हैं, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर के संविधान अथवा अन्य किसी विधि के अधीन शपथ ली है और उनकी कार्रवाइयों तथा कार्यवाहियों का मूल अधिनियम की नियत तारीख तक विधिमान्यकरण किया जाना अपेक्षित है;

और जबकि, मूल अधिनियम की धारा 84 और 85 में यह उपबंध है कि केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा इन धाराओं के प्रयोजनों के लिए एक या एक से अधिक समिति अथवा सलाहकार समितियां गठित कर सकती है। तथापि, इस उत्तरवर्ती संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य के सुगम संक्रमण के लिए केंद्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की नियत तारीख से पहले सलाहकार समिति का पहले ही गठन कर दिया था और इस प्रकार ऐसी सलाहकार समिति द्वारा की गई कार्यवाहियों और कार्रवाइयों का विधिमान्यकरण किए जाने की आवश्यकता है;

और जबकि, मूल अधिनियम की धारा 93 की उपधारा (2) में यह उपबंध है कि राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करेगा, तथापि संघ लोक सेवा आयोग केवल समूह 'क' और समूह 'ख' (राजपत्रित) पदों पर ही भर्ती करता है;

और जबकि, ऐसी राज्य विधियां, जिनको मूल अधिनियम द्वारा निरसित कर दिया गया है अथवा अंगीकृत लिया गया है, के अधीन गठित प्राधिकरण को तदनुरूपी केंद्रीय विधियां के द्वारा अथवा उनके अधीन गठित समझा जाएगा;

और जबकि, समय-समय पर संशोधित संविधान के सभी उपबंध 05 अगस्त, 2019 से विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू हो गए हैं तथा 05 अगस्त, 2019 और मूल अधिनियम के अधीन नियत दिन के बीच की अवधि के दौरान जारी की गई किसी अधिसूचना अथवा किए गए किसी आदेश, बनाए गए नियम अथवा की गई नियुक्ति का इस प्रकार संरक्षण किया जाना है मानो कि ऐसी कार्रवाईयां विधि के अनुसार की गई हैं;

और जबकि, मूल अधिनियम की पांचवी अनुसूची की तालिका-2 की प्रविष्टि 1 संपत्ति अंतरण अधिनियम, संवत् 1977 (1920 एडी) को उपांतरित रीति लागू होती है। तथापि, जम्मू-कश्मीर संपत्ति अंतरण अधिनियम, संवत् 1977 को इस अनुसूची की तालिका-3 द्वारा निरसित कर दिया गया है;

और जबकि, मूल अधिनियम की पांचवी अनुसूची की तालिका-3 में विनिर्दिष्ट विधियां, जो विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू थी, को निरसित कर दिया गया है तथा इन विधियां के अंतर्गत की गई कार्यवाहियों और कार्रवाइयों का संरक्षण किया जाना अपेक्षित है;

और जबकि, मूल अधिनियम की पांचवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार जम्मू-कश्मीर वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 को जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र को लागू किया गया है। तथापि, जम्मू-कश्मीर विधान मंडल वाला संघ राज्य क्षेत्र होने के कारण उसका अपना स्वयं का वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 होगा जबकि, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र विधान मंडल रहित संघ राज्यक्षेत्र होने के कारण वह संघ राज्यक्षेत्र वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 से शासित होगा;

और जबकि, राज्य विधियां में 'स्थायी निवासी' अथवा 'हैरीडेटरी स्टेट सब्जेक्ट्स' जैसे कुछ ऐसे प्रतिनिर्देश हैं जिनको जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र को लागू किया गया है और संविधान के सभी उपबंध विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू होने के पश्चात् इन प्रतिनिर्देशों का लोप किया जाना अपेक्षित है;

और जबकि, मूल अधिनियम के कार्यान्वयन संबंधी मामले पर केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों तथा जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ विचार किया गया है तथा उन्होंने मूल अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के उचित कार्यान्वयन में आने वाली पूर्वोक्त कठिनाइयों का उल्लेख किया है;

और जबकि, मूल अधिनियम के विभिन्न उपबंधों को प्रभावी करने में उक्त कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं;

अत: अब, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**. – *(1)* इस आदेश का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (कठिनाइयों को दूर किया जाना) आदेश, 2019 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. **कठिनाइयों का दूर किया जाना. –** मूल अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उत्पन्न हुई कठिनाइयों को निम्नलिखित रीति में दूर किया जाएगा : -

(1) विद्यमान जम्मू–कश्मीर राज्य के लिए जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, जो नियत तारीख से ठीक पहले पदधारण कर रहे थे, को संविधान के अनुच्छेद 217 के अंतर्गत नियुक्त किया गया माना जाएगा और उनके बारे में यह माना जाएगा कि उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 219 के अंतर्गत शपथ ली है या प्रतिज्ञान किया है और ये नियत तारीख से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के एक ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में कार्य करते रहेंगे।

(2) नियत दिवस से पूर्व गठित सलाहकार समिति द्वारा किए गए किसी कार्य अथवा की गई कार्रवाई को सभी प्रयोजनों के लिए इस प्रकार वैध और प्रभावी माना जाएगा मानो कि इस प्रकार के कार्य अथवा इस प्रकार की कार्रवाइयां मूल अधिनियम के अंतर्गत नियत दिवस के बाद की गई हों।

(3) संघ लोक सेवा आयोग केवल लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में समूह 'क' और समूह 'ख' (राजपत्रित) पदों पर ही भर्ती करेगा।

(4) सभी केन्द्रीय विधियां, जो नियत तारीख से ठीक पहले विद्यमान जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में लागू थीं, पांचवी अनुसूची की सारणी-I में उल्लिखित विधियों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में लागू बनी रहेंगी ।

(5) वे सभी केन्द्रीय विधियां, अध्यादेश और नियम, जो नियत तारीख से ठीक पूर्व विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में लागू थीं, अब मूल अधिनियम की पांचवी अनुसूची की सारणी-1 में विनिर्दिष्ट विधियों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में लागू होंगी ।

(6) द जम्मू एंड कश्मीर बोविन ब्रीडिंग (रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, सेल ऑफ बोविन सीमेन एंड आर्टिफिशियल इन सेमीनेशन) एक्ट, 2018 (राज्यपाल अधिनियम सं. 55 ऑफ 2018), जम्मू एंड कश्मीर सिंगल विंडो (इंडस्ट्रीयल इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस फेसिलिटेशन) एक्ट, 2018 (राज्यपाल का 2018 का अधिनियम सं. 10), द जम्मू एंड कश्मीर मेट्रोपोलिटिन रीजन डेवलेपमेंट अथॉरिटीज एक्ट, 2018 (राज्यपाल का 2018 का अधिनियम सं. 49) और जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018 (2019 का अधिनियम सं. 2) जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में तब तक लागू बने रहेंगे जब तक कि ये किसी सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा बदले, निरसित या संशोधित नहीं कर दिए जाते हैं ।

(7) जम्मू-कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017, जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को लागू होगा तथा संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र को लागू होगा;

(8) जम्मू-कश्मीर राज्य में नियत तारीख से ठीक पूर्व लागू किसी विधि या उसके अधीन बनाए गए नियमों के संबंध में, -

(क) 'जम्मू-कश्मीर राज्य' या 'जम्मू-कश्मीर' या उसके 'राज्य' शब्दों के किसी भी रूप में प्रतिनिर्देशों का अर्थान्वयन सिवाय वहां, जहां अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, नियत दिवस से, यथास्थिति 'जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र' या 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र', के रूप में किया जाएगा ।

(ख) 'जम्मू–कश्मीर सरकार' शब्दों के किसी भी रूप में आए संदर्भों के लिए, सिवाय वहां, जहां ऐसी विधि या नियमों में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंध किया गया हो, का 'जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार' या 'लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन', यथास्थिति के रूप में अर्थान्वयन किया जाएगा ।

(9) किसी विद्यमान विधि में "राज्य विधानमंडल (या उसके किसी सदन या सदनों)" के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन जम्मू–कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा या विधानमंडल के प्रति निर्देश के रूप में किया जाएगा ।

(10) केंद्रीय सरकार, नियत तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व, आदेश द्वारा नियत तारीख से पूर्व उत्तरवर्ती संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लागू किसी विधि को अनुकूल या उपांतरित कर सकेगी ।

(11) इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् यदि किसी पूर्ववर्ती अधिनियम को, किसी उपबंध में उपांतरण के साथ या बिना, निरसित या पुन: अधिनियमित किया जाता है तो किसी अन्य अधिनियमन या लिखत में ऐसे उपांतरणों के प्रति निर्देश का अर्थान्वयन ऐसे उपांतरित उपबंधों के रूप में किया जाएगा ।

(12) इस अधिनियम की पांचवीं अनुसूची की सारणी 4 में अंतर्विष्ट, जिसमें राज्यपाल के अधिनियम भी हैं, या उसके अधीन जारी अधिसूचनाएं या बनाए गए नियम, आदेश के संदर्भ में "राज्य के स्थायी निवासी या हैरीडेटरी स्टेट सबजेक्टस" के किसी भी संदर्भ में जहां कहीं वे आते हैं, आवश्यक व्याकरणीय फेरफार के साथ, लोप किया जाएगा ।

(13) पांचवीं अनुसूची की सारणी 3 में उपबंधित रीति में निरसित अधिनियम निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेंगे—

(क) इस प्रकार निरसित की गई किसी विधि का पूर्व प्रभाव या इसके अंतर्गत उचित प्रकार से किया गया कोई काम या उसके अंतर्गत प्रभावित कोई बात;

(ख) इस प्रकार, निरसित की गई किसी विधि के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत अथवा उपगत कोई विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व; अथवा

(ग) इस प्रकार निरसित की गई किसी विधि के विरुद्ध किसी किए गए अपराध के संबंध में उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दंड; अथवा

(घ) ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण अथवा पूर्वोक्त दंड के संबंध में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार और ऐसा अन्वेषण विधिक कार्यवाही संस्थित की जाए, जारी रखा जाए अथवा प्रवृत्त किया जाए और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण अथवा दंड इस प्रकार अधिरोपित किया जाए, मानों यह अधिनियम पारित ही नहीं किया गया था ।

(14) किसी विधि के अधीन की गई ऐसी नियुक्ति अथवा प्रतिनिधि मंडल, जारी की गई किसी अधिसूचना, अनुदेश अथवा निर्देश, तैयार किए गए प्ररूप, उपविधि अथवा स्कीम, प्राप्त किए गए प्रमाणपत्र, अनुदत्त किए गए किसी परमिट अथवा अनुज्ञप्ति अथवा किए रजिस्ट्रीकरण अथवा करार सहित की गई किसी बात अथवा की गई किसी कार्यवाही को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र को लागू केंद्रीय विधियों के तद्नुरूप उपबंधों के अंतर्गत की गई कार्रवाई समझी जाएगी और ये तद्नुसार तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक कि इनका अब विस्तारित केंद्रीय विधियों के अंतर्गत की गई किसी बात अथवा की गई किसी कार्रवाई द्वारा अधिक्रमण नहीं कर दिया जाता है ।

(15) 5 अगस्त, 2019 और नियत तारीख की बीच की अवधि के दौरान जारी की गई किसी अधिसूचना अथवा किए गए आदेश, बनाए गए नियम या की गई नियुक्ति सहित की गई किसी बात अथवा की गई कार्रवाई को सभी प्रयोजनों के लिए इस प्रकार वैध और प्रभावी माना जाएगा मानो ऐसी बातें और कार्रवाइयां विधि के अनुसार की गई थीं तथा कोई वाद अथवा अन्य विधिक कार्रवाइयां, वह जो भी हों, इस आधार पर कि ऐसी बातें या कार्रवाइयां विधि के अनुसार संस्थित नहीं की जाएंगी या नहीं चलायी जाएंगी ।

(16) किसी ऐसे व्यक्ति, जिसने जम्मू-कश्मीर के संविधान या विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य में किसी अन्य विधि के अंतर्गत नियत तारीख से ठीक पहले उस रूप में पद धारण करने से पूर्व शपथ ली है अथवा प्रतिज्ञान किया है तो उसके बारे में यह माना जाएगा कि उसने भारत के संविधान या जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र या लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र को लागू किसी अन्य विधि के अंतर्गत शपथ ली है अथवा प्रतिज्ञान किया है और वह व्यक्ति उस रूप में उस तारीख तक उस पद पर अथवा उस अवस्था में बना रहेगा ।

(17) नियत तारीख से ठीक पहले विद्यमान जम्मू-कश्मीर को प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी प्राधिकरण को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र को लागू केंद्रीय विधियों के तद्नुरूपी उपबंधों के अधीन तब तक गठित माना जाएगा, जब तक, यथास्थिति, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र या लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र को लागू विधि के अधीन कोई नया प्राधिकरण गठित नहीं कर दिया जाता है और ऐसे प्राधिकरण द्वारा आरंभ की गई किन्ही कार्यवाहियों अथवा कार्रवाई को सभी प्रयोजनों के लिए वैध और प्रभावी माना जाएगा ।

(18) पांचवी अनुसूची की तालिका 1 की क्रम सं. 40 में "भारतीय वायलर अधिनियम, 1923" को "वायलर अधिनियम, 1923" के रूप में पढ़ा जाएगा ।

(19) पांचवी अनुसूची की तालिका 2 की क्रम सं. 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

राम नाथ कोविन्द
राष्ट्रपति

नई दिल्ली,
तारीख : 30 अक्तूबर, 2019

[फा. सं. 11014/05/2014-के-I]
अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Jammu and Kashmir Affairs)

ORDER

New Delhi, the 30th October, 2019

S.O. 3912(E).—WHEREAS, the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) (hereinafter referred to as the principal Act) received the assent of the President on the 9th day of August, 2019 and notified in the Official Gazette on the same day;

AND WHEREAS, the 31st day of October, 2019 has been notified as the appointed day for all purposes of the principal Act;

AND WHEREAS, the principal Act was enacted to provide for reorganisation of the existing State of Jammu and Kashmir into the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh;

AND WHEREAS, there are certain Central laws and rules made thereunder which are applicable to the existing State of Jammu and Kashmir are continued to be made applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh;

AND WHEREAS, those Central laws, Ordinance and rules which are applicable to the whole of India except the existing State of Jammu and Kashmir are to be made applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh in addition to the Central laws specified in TABLE -1 of the of Fifth Schedule to the principal Act;

AND WHEREAS, the Jammu and Kashmir Bovine Breeding (Regulation of Production, Sale of Bovine Semen and Artificial Insemination) Act, 2018 (Governor's Act No. LV of 2018), the Jammu and Kashmir Single Window (Industrial Investment and Business Facilitation) Act, 2018 (Governor's Act No. X of 2018), the Jammu and Kashmir Metropolitan Region Development Authorities Act, 2018 (Governor's Act No. XLIX of 2018) and the Jammu and Kashmir National Law University Act, 2018 (Act No. II of 2019) which are applicable to the existing State of Jammu and Kashmir are continued to be made applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh;

IndiaCode

AND WHEREAS, after application of all the Central laws and relevant State laws to the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh, the adaptation of laws to the successor Union territories with required modifications cannot be restricted to laws specified in the Fifth Schedule to the principal Act but required to be extended to any law made applicable before the appointed day;

AND WHEREAS, the references to the "State of Jammu and Kashmir" with respect to the laws specified in the Fifth Schedule to the principal Act and other State laws and Central laws and rules made thereunder, shall be construed as references to the Union Territory of Jammu and Kashmir or the Union Territory of Ladakh, as the case may be;

AND WHEREAS, the references to the "State Legislature including Legislative Council of the State" which has been abolished by the principal Act shall be construed as "Legislative Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir";

AND WHEREAS, the Judges of the High Court of Jammu and Kashmir for the existing State of Jammu and Kashmir have been appointed under the Constitution of Jammu and Kashmir and have taken oath or affirmation under the said Constitution. However, section 75 of the principal Act provides that the Judges of the High Court of Jammu and Kashmir of the existing State of Jammu and Kashmir holding office immediately before the appointed day of the principal Act shall become on that day the Judges of the common High Court for the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh and all the provisions of the Constitution of India, including the provisions relating to appointment of Judges of High Court are to be applicable to the Judges of the common High Court for the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh;

AND WHEREAS, there are other persons or authorities who have taken oath under the Constitution of Jammu and Kashmir or any other law and their actions and proceedings are required to be validated till the appointed day of the principal Act;

AND WHEREAS, sections 84 and 85 of the principal Act provides that the Central Government may, by order, establish one or more Committee or Advisory Committees for the purposes of those sections. However, for smooth transition of the State to successor Union Territories, the Central Government had already appointed the Advisory Committee before the appointed day of the said Act and therefore there is a need to validate the proceedings and actions taken by such Advisory Committee;

AND WHEREAS, sub-section *(2)* of section 93 of the principal Act provides that the Union Public Service Commission, with the approval of President, shall serve the needs of the Union Territory of Ladakh, however, the Union Public Service Commission makes recruitment only for the Group 'A' and Group 'B' (Gazetted) posts;

AND WHEREAS, the authority constituted under the State laws which are repealed or adopted by the principal Act shall be deemed to be constituted by or under the corresponding Central laws;

AND WHEREAS, all the provisions of the Constitution as amended from time to time have become applicable to the existing State of Jammu and Kashmir with effect from the 5th day of August 2019, and any notification issued or order, rule or appointment made during the period between the 5th day of August, 2019 and the appointed day under the principal Act are required to be protected, as if such actions have been taken in accordance with law;

AND WHEREAS, entry 1 of TABLE - 2 of the Fifth Schedule to the principal Act applies the Transfer of Property Act, Svt. 1977 (1920 AD) in a modified manner. However, the Jammu and Kashmir Transfer of Property Act, Svt.1977 has been repealed by TABLE-3 of that Schedule;

AND WHEREAS, the laws specified in TABLE - 3 of the Fifth Schedule to the principal Act which were applicable to the existing State of Jammu and Kashmir have been repealed and the proceedings and actions taken under those laws are required to be protected;

AND WHEREAS, the Jammu and Kashmir State Goods and Services Tax Act, 2017 has been made applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh as specified in the Fifth Schedule to the principal Act. However, the Union Territory of Jammu and Kashmir, being a Union Territory with Legislature shall have its own Goods and Services Tax, Act, 2017 whereas the Union Territory of Ladakh, being a Union Territory without Legislature shall be governed by the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017;

AND WHEREAS, there are references in the State laws that have been applied to the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh to the expressions 'permanent residents' or 'hereditary state subjects' and after application of all the provisions of the Constitution to the existing State of Jammu and Kashmir, these references are required to be omitted;

AND WHEREAS, the matter regarding implementation of the principal Act has been taken up with the Central Government Ministries, Departments and the Government of Jammu and Kashmir and they have pointed out the aforementioned difficulties in proper implementation of various provisions of the principal Act;

AND WHEREAS, the aforementioned difficulties have arisen in giving effect to various provisions of the principal Act;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 103 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, the President, hereby makes the following Order, namely: -

1. **Short title and commencement**.—*(1)* This Order may be called the Jammu and Kashmir Reorganisation (Removal of Difficulties) Order, 2019.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Removal of difficulties.—**The difficulties arising in giving effect to the provisions of the principal Act have been removed in the following manner, namely: -

(1) The Judges of the High Court of Jammu and Kashmir for the existing State of Jammu and Kashmir holding office immediately before the appointed day shall be deemed to have been appointed under article 217 of the Constitution and they shall be deemed to have taken oath or affirmation under article 219 of the Constitution and shall continue to function as Judges of common High Court of the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh from the appointed day.

(2) Anything done or any action taken by the Advisory Committee established before the appointed day, shall for all purposes, be deemed to be valid and operative, as if such things had been done or such actions had been taken after the appointed day under the principal Act.

(3) The Union Public Service Commission shall make recruitment for the Group 'A' and Group 'B' (Gazetted) posts only in respect of the Union Territory of Ladakh.

(4) All Central laws which were applicable to the existing State of Jammu and Kashmir immediately before the appointed day shall continue to apply to the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh in addition to the laws mentioned in Table-I of the Fifth Schedule.

(5) All those Central laws, Ordinance and rules which are applicable to the whole of India except the existing State of Jammu and Kashmir immediately before the appointed day, shall now be applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh in addition to the Central laws specified in TABLE -1 of the of Fifth Schedule to the principal Act;

(6) The Jammu and Kashmir Bovine Breeding (Regulation of Production, Sale of Bovine Semen and Artificial Insemination) Act, 2018 (Governor's Act No. LV of 2018), the Jammu and Kashmir Single Window (Industrial Investment and Business Facilitation) Act, 2018 (Governor's Act No. X of 2018), the Jammu and Kashmir Metropolitan Region Development Authorities Act, 2018 (Governor's Act No. XLIX of 2018) and the Jammu and Kashmir National Law University Act, 2018 (Act No. II of 2019) shall continue to apply to the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh until altered, repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority.

(7*)* The Jammu and Kashmir Goods and Services Tax Act, 2017 shall be applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 shall be applicable to the Union Territory of Ladakh.

(8) With respect to any law in force or rules made thereunder immediately before the appointed day in the State of Jammu and Kashmir, -

(a) the references, by whatever form, of words to the "State of Jammu and Kashmir" or "Jammu and Kashmir" or "State" thereof shall, as from the appointed day, except where it is unless otherwise provided, be construed as "Union Territory of Jammu and Kashmir" or "Union Territory of Ladakh, as the case may be";

(b) the references, by whatever form, of words to the "Government of Jammu and Kashmir", except where it is otherwise expressly provided, in such law or rules, shall be construed as references to "the Government of Union Territory of Jammu and Kashmir" or "the Administration of Union Territory of Ladakh, as the case may be".

(9) Any reference in any existing law to the "Legislature of the State (or any House or Houses thereof)" shall be construed as references to the Legislative Assembly or Legislature of the Union Territory of Jammu and Kashmir.

(10) The Central Government may before the expiration of one year from the appointed day by order may adapt or modify any law made applicable to the successor Union Territories before the appointed day.

(11) If any Act made after the commencement of this Act, repeals or re-enacts, with or without modification, any provision of a previous Act, references to such modifications in any other enactment or instrument, shall be construed as references to the provision so modified.

(12) In the Acts including Governor's Acts contained in TABLE - 4 of the Fifth Schedule to this Act or notifications issued or rules, orders, made thereunder, any reference, by whatever form to the "permanent residents of the State or hereditary State subject", wherever they occur, shall be omitted with necessary grammatical variations.

(13) The Acts repealed in the manner provided in TABLE -3 of the Fifth Schedule, shall not affect—

(a) the previous operation of any law so repealed or anything duly done or suffered there under;

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any law so repealed;

(c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any law so repealed; or

(d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid,

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if this Act had not been passed.

(14) Anything done or any action taken including any appointment or delegation made, notification, instruction or direction issued, form, bye-law or Scheme framed, certificate obtained, permit or licence granted or registration effected or agreement executed under any law shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Central laws now extended and applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh and shall continue to be in force accordingly, unless and until superseded by anything done or any action taken under the Central laws now extended.

(15) Anything done or any action taken including any notification issued or order, rule or appointment made during the period between the 5th of August, 2019 and the appointed day shall, for all purposes, be deemed to be valid and operative as if such things had been done or actions had been taken in accordance with law, and no suit or other legal proceeding shall be instituted or maintained against any person or authority whatsoever, on the ground that such things or actions were not done or taken in accordance with law.

(16) Any person who has taken an oath or made an affirmation before holding office or position as such under the Constitution of Jammu and Kashmir or any other law in force in the existing State of Jammu and Kashmir immediately before the appointed day shall be deemed to have taken such oath or affirmation under the Constitution of India or any other law applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh, and shall continue to hold office or position as such till the appointed day.

(17) Any authority constituted under any law in the existing State of Jammu and Kashmir immediately in force before the appointed day shall be deemed to have been constituted under the corresponding provisions of the Central laws applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh, until a new authority is constituted under the law applicable to the Union Territory of Jammu and Kashmir or the Union Territory of Ladakh, as the case may be, and any proceedings initiated or action taken by such authority, shall for all purposes be deemed to be valid and operative.

(18) In TABLE – 1 of the Fifth Schedule, in serial number 40, for "The Indian Boilers Act, 1923" shall be read as "The Boilers Act, 1923.

(19) In TABLE -2 of the Fifth Schedule, serial number 1 and the entries relating thereto shall be omitted.

New Delhi
30th October, 2019.

RAM NATH KOVIND
President

———

[F. No. 11014/05/2014-K.I]
AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.10.30 22:36:13 +05'30'